न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार मीणा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या	जी0सी0एम0एस0 नम्बर	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
16 / 2025–वाद पत्र	2025 / 24	03.06.2025	06.03.2026

उनवान

तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा —वादी

बनाम

1– आरीफ पुत्र गनी मोहम्मद पिनारा निवासी दौलतगढ तहसील आसीन्द
2– निसार मोहम्मद पुत्र अनवार हुसैन पिनारा निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– राजेन्द्र प्रसाद पुत्र नन्दलाल न्याति(महाजन) निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री मोहम्द शरीफ : अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 02
2. श्री अनिल कुमार शर्मा : अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 03

वाद पत्र : अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय 1955

—:: निर्णय ::—

दिनांक 06.03.2026

वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया गया वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि :–

यह है कि ग्राम दौलतपुरा प०म० दौलतपुरा तहसील शाहपुरा के वर्तमान आराजी न० 686 रकबा 0.51 है० किस्म बारानी।।। दर्ज है जिस पर बिना किसी संपरिवर्तन के प्लोटिंग की गई। उक्त भूमि पर उक्त प्रतिवादीगणों द्वारा आपसी मिलीभगत कर अवैध रूप से वर्तमान में प्लोटिंग कर कृषि जोत के स्वरूप को परिवर्तन कर दिया गया है। कृषि जोत कि शर्तों व नियमों की अवहेलना की गई है। प्रतिवादीगण द्वारा अवैधानिक रूप से निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु अवैध हस्तान्तरण कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत शर्त भंग की परिभाषा में आता है। प्रतिवादीगण द्वारा आपस में साझकर अवैधानिक तरीके से तहरीर अथवा इकरारनामा बतौर बयनामा आदि लिखा जाकर कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन कर कृषि जोत के नियमों व शर्तों का उल्लघंन किया गया है। उक्त आपसी सहमति से की गई कार्यवाही बेबुनियाद व नियमों से परे है जो कि काबिल साक्ष्य के रूप में नहीं मानी जा सकती है इसलिये खातेदार द्वारा उक्त की गई कार्यवाही नियम विरूद्ध है। प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से 0.16 है0 पर बिना किसी संपरिवर्तन के प्लॉटिंग कर अकृषि भूमि में संपरिवर्तन कर दिया गया है जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति को नष्ट कर दिया है जो काबिले सिवायचक दर्ज कराने के है। उक्त अवैध हस्तांतरण एवं कब्जों की स्थिति ध्यान में आने पर काबिज अप्रार्थी को पटवारी हल्का ढीकोला के माध्यम से सूचित किया है कि विवादित भूमि से अपना कब्जा छोड़ दे परंतु मौके पर वर्तमान में प्लॉटिंग कर भूमि का कब्जा आज दिनांक तक बदस्तुर कृषि से अकृषि में परिवर्तित है तथा मौका पाकर निर्माण कार्य करने पर आमदा है ऐसी स्थिति भूमि धारक की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। उक्त आराजी नं0 686 रकबा 0.51 है० किस्म बारानी।।। की खातेदारी भूमि का अवैध हस्तानान्तरण के लिये खातेदार जिम्मेदार है जिसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 63 के तहत खातेदारी अधिकार की समाप्ति की घोषणा करने का आदेश फरमायें। भूमि पर अवैध तरीके से काबिज व्यक्तियों द्वारा स्थाई निर्माण वगैरह किया जा कर कृषि भूमि के स्वरूप को नष्ट किया जा रहा है। जिन्होंने अस्थाई

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला- भीलवाड़ा(राज.)

निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया कि प्रार्थना पत्र के निर्णय तक मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। अन्य अनुतोष जो भूमि की सुरक्षा के लिये हितकर हो तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित से भुलवश रह गया हो या प्रार्थना पत्र सुनवाई के दौरान न्यायालय के ध्यान में आये भूमि धारक को दिलवाने का कष्ट करें। खातेदारान द्वारा आपस में मिलीभगत कर कृषि भूमि को बिना रूपांतरण कराये अवैधानिक तरीके से किये गये कृषि जोत के स्वरूप में परिवर्तन से राजस्व की हानि भी की है। जमाबंदी में अंकित नवीनतम अंकन के अनुसार अभिलिखित खातेदार काश्तकारों एवं हितबद्ध कब्जाधारी पक्षकारों को बतौर प्रतिवादीगण पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 व सपठित धारा 63 तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खातेदार के खातेदारी अधिकार की समाप्ति की घोषणा के साथ–साथ भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन नोटिस तलब किया गया। नियत पेशी दिनांक 12.06.2025 को प्रतिवदीगण सं. 02 का सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ। प्रतिवादी संख्या 02 स्वयं उपस्थित हुआ एवं जवाब द्वारा के अवसर चाहा। दिनांक 19.06.2025 को प्रार्थी राजेन्द्र प्रसाद पिता नन्दलाल न्याति द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण में शीघ्र सुनवाई के प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया जाकर प्रकरण में पेशी दिनांक 01.07.2025 के स्थान पर 23.06.2025 को नियत की गई। दिनांक 01.07.2025 को प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से अभिभाषक श्री मोहम्मद शरीफ द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 07.10.2025 को अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 13.10.2025 को अभिभाषक श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा प्रार्थी श्री राजेन्द्र प्रसाद पिता नन्दलाल न्याति की तरफ से अधिकार पत्र एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 व धारा 151 जा.दी. के प्रस्तुत किया गये जिन्हे दिनांक 14.10.2025 को रेकार्ड पर लिया गया। प्रकरण वास्ते प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 व धारा 151 जा.दी. के जवाब/बहस के नियत किया गया। दिनांक 30.10.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 व धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाकर प्रार्थी राजेन्द्र प्रसाद न्याति को पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने के आदेश दिये गये। अभिभाषक प्रार्थी श्री राजेन्द्र प्रसाद न्याति द्वारा संशोधित अनवान एवं प्रार्थी(प्रतिवादी संख्या 03) की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण वास्ते कायमी तनकियात के नियत किया गया। दिनांक 13.01.2026 को निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया प्रतिवादीगण द्वारा आराजी संख्या 686 रकबा 0.51 में अपने हिस्से की कृषि भूमि रकबा 0.16 है0 पर बिना किसी संपरिवर्तन के प्लाटिंग कर भूमि का व्यवसायिक व आवासीय उपयोग किया जा रहा है ?

   –जिम्मे वादी

2. आया प्रतिवादीगण के विरूद्ध आराजी नम्बर 686 रकबा 0.51 है0 का अवैध हस्तान्तरण के लिए खातेदार जिम्मेदार है जिसके विरूद्ध अधिनियम की धारा 63 के तहत खातेदारी अधिकार की सम्पाप्ति की घोषणा का आदेश फरमावें ?

   –जिम्मे वादी

3. आया वाद के पैरा संख्या 02 में वर्णित आराजी संख्या 686 रकबा 0.51 है0 में प्रतिवादीगण नम्बर 01 व 02 का सम्पूर्ण हिस्सा 0.16 है0 तरमीम करवाकर जवाबदार को बिकाव तथा तरमीम के पश्चात प्रतिवादीगण नम्बर 01 व 02 के संयुक्त खातेदारी के नम्बर 6250/686 रकबा 0.16 है0 दर्ज किये गये तथा उक्त खरीदशुदा हिस्से पर जवाबदार काबिज होकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। मौके पर किसी प्रकार से व्यवसायिक व आवासीय प्रयोजनार्थ काम नहीं ली जाकर कृषि प्रयोजनार्थ ही काम में ली जा रही है ?

   – जिम्मे प्रतिवादी संख्या 03

4. आया प्रतिवादी द्वारा खरीदशुदा आराजी के स्वरूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया है न ही कृषि जोत की शर्तों व नियमों की अवहेलना की गई है। वाद पत्र बिना हेतुक व बिना सत्यापन के प्रस्तुत किया गया जो आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के तहत खारिज किये जाने योग्य है ?

   – जिम्मे प्रतिवादी संख्या 03

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला- भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण वास्ते साक्ष्य वादी के नियत किया गया। प्रकरण में दिनांक 19.02.2026 को अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा प्रतिवादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र बाबत वाद का निस्तारण किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रार्थना पत्र के संदर्भ में वर्तमान मौका की स्थिति तहसीलदार शाहपुरा से चाही गयी। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा उनके पत्रांक 215 दिनांक 06.03.2026 से मौका स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई। दिनांक 06.03.2026 को तहसीलदार शाहपुरा स्वयं उपस्थित होकर साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं कर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को ही साक्ष्य के रूप में स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। अतः साक्ष्य सरकार बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा स्वयं का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में बहस उभयपक्ष की सुनी गई। बहस में अभिभाषक प्रतिवादी ने जवाब प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम ढीकोला में स्थित आराजी 686 रकबा 0.51 है. के सहखातेदार आरिफ व निसार ने अपने हिस्से का बंटवाड़ा करवाया था जिसके बाद आरजी नम्बर 6250/686 रकबा 0.16 है. बने जिसे जरिए पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा क्रय किया गया जिसका नामान्तरकरण प्रतिवादी के पक्ष में खोला जाकर आराजी संख्या 6250/686 रकबा 0.16 है. का प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। किन्तु तहसीलदार शाहपुरा द्वारा उक्त अनवान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया जिसका दाखला जमाबंदी में लगा दिया गया। जबकि वर्तमान में वादग्रस्त आराजी कृषि कार्य हेतु ही काम में आ रही है। एवं वर्तमान में प्रतिवादी उक्त भूमि का भू उपयोग परिवर्तन करवाना चाहता है किन्तु जमाबंदी में स्थगन आदेश का दाखला होने के कारण भूमि उपयोग परिवर्तन का कार्य रूक गया है। जिससे प्रतिवादी को आर्थिक नुकसान हो रहा है। चूंकि वाद पत्र तत्कालीन खातेदार आरिफ एवं निसार के विरूद्ध पेश किया गया था किन्तु वर्तमान में उक्त आराजियात पर प्रतिवादी संख्या 03 खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज होकर भूमि को काश्त कर रहा एवं आराजियात को कृषि प्रयोजनार्थ की काम में ले रहा है। अतः वाद पत्र खारिज फरमाया जाकर जमाबंदी से स्थगन आदेश का दाखला हटाये जाने की कृपा करावें।

बहस पर मनन एवं वादपत्र में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन किया गया।

प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

1. **<u>तनकी संख्या 01 –</u>** इस तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा वादी का था। वादी द्वारा तनकी सिद्ध करने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। साक्ष्य के रूप में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार मूल आराजी 686 रकबा 0.51 है0 से बने नवीन नम्बर 6250/686 रकबा 0.16 है0 एवं 6249/686 रकबा 0.35 है0 दोनों की आराजी नम्बर वर्तमान में खाली पड़ी होकर मौके पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं एवं ना ही मौके पर वर्तमान में कोई भूखण्ड कटे होना जाहिर आया है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।
2. **<u>तनकी संख्या 02 –</u>** इस तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा वादी का था। तनकी संख्या 01 वादी के विरूद्ध निर्णित होने से यह तनकी भी वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।
3. **<u>तनकी संख्या 03 –</u>** इस तनकी संख्या को सिद्ध करने का जिम्म प्रतिवादी संख्या 03 का था। प्रतिवादी द्वारा तनकी सिद्ध करने के लिए ग्राम ढीकोला पटवार हल्का ढीकोला की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2076 से 2076 से प्रस्तुत की गई जिसमें आराजी नम्बर 6250/686 रकबा 0.16 है0 प्रतिवादी संख्या 03 के नाम दर्ज रेकार्ड है। एवं तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त वर्तमान मौका रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर वर्तमान में खाली पड़ी होकर मौके पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं एवं ना ही मौके पर वर्तमान में कोई भूखण्ड कटे होना जाहिर आया है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला- भीलवाड़ा(राज.)

4. **तनकी संख्या 04** – इस तनकी संख्या को सिद्ध करने का जिम्म प्रतिवादी संख्या 03 का था। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त वर्तमान मौका रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर वर्तमान में खाली पड़ी होकर मौके पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं एवं ना ही मौके पर वर्तमान में कोई भूखण्ड कटे होना जाहिर आया है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त सभी तनकी वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादी संख्या 03 के पक्ष में निर्णित होने से वाद वादी खारिज किया जाकर डिक्री जारी किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–:: आदेश ::–

अतः उपुर्यक्त विवेचन के आलोक में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 177 खारिज किया जाकर वाके ग्राम ढीकोला प0ह0 ढीकोला तहसील शाहपुरा में स्थित आराजी 686 रकबा 0.51 है जिसके नवीन नम्बर 6250/686 रकबा 0.16 है0 एवं 6249/686 रकबा 0.35 है0 बने है पर जारी धारा 177 की कार्यवाही ड्रोप की जाती है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.
सत्यमेव जयते

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा
जिला भीलवाड़ा